रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02032021-225591
CG-DL-E-02032021-225591

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 901] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 2, 2021/फाल्गुन 11, 1942
No. 901] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 2, 2021/PHALGUNA 11, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2021

का.आ. 974(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (यूटीईआईएए) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव कहा गया है) गठित करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

1.	डा.एम.आर.जी.रेड्डी, भारतीय वन सेवा (सेवानिवृत्त), फ्लैट नं. 304, ई-44, वैशनवी श्री संपदा अपार्टमेंटस्, मधुरनगर, हैदराबाद-38	अध्यक्ष;
2.	प्रो. ईडीए उदय भास्कर रेड्डी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पर्यावरण विज्ञान विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापटनम-533003	सदस्य;
3.	वन संरक्षक, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	सदस्य सचिव।

2. प्राधिकरण, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगा जो उक्त अधिसूचना में प्रगणित हैं।

4. प्राधिकरण, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र, इस अधिसूचना के पैरा-5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की सिफारिशों के आधार पर अपने विनिश्चय करेगा।

5. प्राधिकरण, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र की सहायता के लिए केंद्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र की राज्य सरकार के परामर्श से, संघ राज्यक्षेत्र विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र (जिसे इसके पश्चात् यूटीईएसी, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव कहा गया है) का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

1.	डॉ. वी.पी.उपाध्याय, वैज्ञानिक (सलाहकार), सेवानिवृत्त, बी1-303, न्यू जीवन बीमा नगर हाउसिंग सोसाइटी, मैत्री विहार, पी.ओ.रेल विहार, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-23	अध्यक्ष;
2.	श्री अरविन्द विसपुटे, मुख्य वनसंरक्षक (सेवानिवृत्त), महाराष्ट्र, 7-सब्दाब्रह्मा, पूर्णावद नगर, गंगापुर रोड, नाशिक-422013, महाराष्ट्र	सदस्य;
3.	सहायक नगर योजनाकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	सदस्य;
4.	उप वनसंरक्षक, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव	सदस्य सचिव;

6. यूटीईएसी, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

7. यूटीईएसी, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगी जो उक्त अधिसूचना में प्रगणित हैं।

8. यूटीईएसी, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा।

9. हितों के टकराव से बचने के लिए,-

(क) यूटीईआईएए और यूटीईएसी, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषणा करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन से सहबद्ध हैं तथा परियोजना के प्रस्तावक भी हैं;

(ख) यूटीईआईएए तथा यूटीईएसी दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र का अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान, ऐसी परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) तथा पर्यावरण प्रबंध योजना तैयार करने के लिए कोई परामर्श नहीं करेंगे या सहबद्ध नहीं होंगे, जिसका मूल्यांकन यूटीआईएए और यूटीईएसी तथा यूटीईएसी, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र द्वारा किया जाना है; और

(ग) यदि पिछले पांच वर्षों में, यूटीईआईएए तथा यूटीईएसी दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव का अध्यक्ष और सदस्यों में से किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) अध्ययन किए हैं, तो उस स्थिति में वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जा रही किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में यूटीईआईएए और यूटीईएसी दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र की बैठकों में सम्मिलित होने से इंकार कर देंगे।

10. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन प्राधिकरण और यूटीईएसी दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगा और उक्त सचिवालय सभी वित्तीय और संभार तंत्र समर्थन, जिसके अंतर्गत स्थान, परिवहन भी है और प्राधिकरण और यूटीईएसी दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के सभी कानूनी कृत्यों के संबंध में ऐसी अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगा ।

11. प्राधिकरण, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के अध्यक्ष और सदस्य और यूटीईएसी दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र के अध्यक्ष और सदस्यों को फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[फा.सं. जे.11013/42/2007–आईए.II(I)]

(सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2021

S.O. 974(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority (UTEIAA), Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, (hereinafter referred to as the Authority, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu) comprising of the following three Members, namely:—

1.	Dr. M.R.G. Reddy, Indian Forest Service (Retired), Flat No. 304, E-44, Vaishnavi Siri Sampada Apartments, Madhuranagar, Hyderabad- 38	Chairman;
2.	Prof. EDA Udaya Bhaskar Reddi, Retd. Professor, Department of Environmental Sciences, Andhra University, Vishakahapatnam-533003	Member;
3.	Conservator of Forests, Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu	Member Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said notification.

4. The Authority, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu shall take its decision on the recommendations of the State level Expert Appraisal Committees (SEACs) constituted under paragraph 5 of this notification.

5. To assist the Authority, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, the Central Government in consultation with the State Government of Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, hereby constitutes the Union Territory Expert Appraisal Committee, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (hereinafter referred to as the UTEAC, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu) comprising of the following Members, namely:-

1.	Dr. V.P. Upadhyay, Scientist (Advisor), (Retired), B1- 303, New Jeevan Bima Nagar Housing Society, MaitriVihar, PO. Rail Vihar, Chandrasekharpur, Bhubaneswar- 23	Chairman;
2.	Shri Arvind Vispute, Chief Conservator of Forests (Retd.) Maharashtra, 7- Sabdabarmha, Purnavad Nagar, Gangapur Road, Nashik -422013, Maharashtra	Member;

3.	Assistant Town Planner, Dadra and Nagar Haveli	Member;
4.	Deputy Conservator of Forests, Daman and Diu	Member Secretary.

6. The Chairman and Members of the UTEAC, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The UTEAC, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said notification.

8. The UTEAC, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest,-

(a) the Chairman and Members of the UTEIAA and UTEAC, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu shall as declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Member of the UTEIAA and UTEAC, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environment Impact Assessment (EIA) and Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the UTEIAA and UTEAC, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu during their tenure; and

(c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the UTEIAA and UTEAC, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the UTEIAA and UTEAC, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Administration shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority and the UTEAC, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and the said Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions of the Authority and UTEAC Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

11. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Member of the Authority, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and the Chairman and Members of the UTEAC, UnionTerritory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu shall be paid as per rules of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

[F. No. J-11013/42/2007- IA.II (I)]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR